



Neutral Citation No. - 2026:AHC:128596

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

दाण्डिक प्रकीर्ण जमानत प्रार्थना-पत्र संख्या - 13099 वर्ष 2026

प्रेम चन्द्र

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : बीरेन्द्र प्रताप सिंह, इन्द्र कुमार सिंह

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 67

माननीय न्यायमूर्ति समीर जैन

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री इन्द्र कुमार सिंह तथा राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री राजीव धर द्विवेदी को सुना गया।
2. प्रस्तुत जमानत प्रार्थना-पत्र आवेदक द्वारा विचारण के लंबित रहने के दौरान मुकद्दमा अपराध संख्या 01 वर्ष 2026, अंतर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, पुलिस थाना भ्रष्टाचार निवारण, जिला कानपुर नगर में जमानत पर रिहा किए जाने हेतु योजित किया गया है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदक पुलिस उप-निरीक्षक है और जी.आर.पी. अनवरगंज रेलवे स्टेशन पर चौकी प्रभारी के पद पर नियुक्त था। वह आगे प्रस्तुत करते हैं कि, आरोप के अनुसार, शिकायतकर्ता तेजस कंस्ट्रक्शन कंपनी का पर्यवेक्षक था जो रेलवे स्टेशन पर टाइल्स और पत्थर लगाने का कार्य कर रही थी और मलबे के निस्तारण हेतु आवेदक ने उससे 5,000/- रुपये की मांग की तथा शिकायतकर्ता द्वारा की गई शिकायत पर छापा दल (ट्रैप टीम) अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



ने आवेदक को पकड़ लिया और यहां तक कि उसके कब्जे से 5,000/- रुपये की रिश्वत की राशि भी बरामद की गई, परंतु आवेदक के विरुद्ध लगाए गए संपूर्ण आरोप पूर्णतः मिथ्या हैं।

4. वह आगे प्रस्तुत करते हैं कि, चूंकि शिकायतकर्ता उस निर्माण कंपनी का पर्यवेक्षक था जिसे निर्माण कार्य करने का प्राधिकार प्राप्त था, अतएव, आवेदक के लिए उससे रिश्वत की मांग करने का कोई अवसर नहीं था।
5. वह आगे प्रस्तुत करते हैं कि, वस्तुतः कंपनी अपना कार्य निष्ठापूर्वक नहीं कर रही थी तथा आवेदक के अनुसार, कंपनी प्लेटफार्म पर गंदगी फैला रही थी और इसलिए आवेदक ने उसे चेतावनी दी तथा जब शिकायतकर्ता ने स्वयं में सुधार नहीं किया तो आवेदक ने दिनांक 19.12.2025 को पुलिस अधिनियम की धारा 34 / भारतीय दंड संहिता की धारा 290 के अंतर्गत उसका चालान कर दिया तथा शिकायतकर्ता का चालान पत्रावली के पृष्ठ संख्या 134 पर संलग्न है और केवल इसी कारण से शिकायतकर्ता आवेदक से रुष्ट था और उसने मिथ्या प्रार्थना-पत्र दिया तथा तत्पश्चात छापा दल की मिलीभगत से आवेदक को पकड़ लिया गया है।
6. वह आगे प्रस्तुत करते हैं कि, आवेदक एक ईमानदार लोक सेवक है तथा उसका पूर्ववृत्त बेदाग है और वर्तमान मामले से पूर्व उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं रहा है।
7. वह आगे प्रस्तुत करते हैं कि, बरामदगी ज्ञापन से भी यह परिलक्षित होता है कि, आवेदक की गिरफ्तारी के पश्चात उसे पुलिस थाने ले जाया गया और पुलिस थाने में संपूर्ण औपचारिकताएं पूर्ण की गईं और यह तथ्य संपूर्ण छापा कार्यवाही पर संदेह उत्पन्न करता है।
8. वह आगे प्रस्तुत करते हैं कि, मामले की विवेचना पूर्ण हो चुकी है तथा वर्तमान मामले में आवेदक 12.01.2026 से अर्थात् लगभग छह माह से कारागार में निरुद्ध है।
9. इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया और प्रस्तुत किया कि, आवेदक चौकी प्रभारी था और उसने न केवल रिश्वत की मांग की बल्कि उसके कब्जे से रिश्वत की राशि भी बरामद की गई, परंतु वे इस तथ्य का खंडन नहीं कर सके कि लगभग 15 दिन पूर्व आवेदक ने शिकायतकर्ता का चालान किया था। विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता इस तथ्य का भी खंडन नहीं कर सके कि आवेदक की गिरफ्तारी के पश्चात पुलिस थाने में संपूर्ण विधिक औपचारिकताएं संपन्न की गईं। विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता इस

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



तथ्य का भी खंडन नहीं कर सके कि मामले की विवेचना पूर्ण हो चुकी है तथा आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वर्तमान मामले में आवेदक 12.01.2026 से अर्थात् लगभग छह माह से कारागार में निरुद्ध है।

10. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना तथा मामले की पत्रावली का अनुशीलन किया।
11. तथापि, आरोप के अनुसार, आवेदक जी.आर.पी. अनवरगंज रेलवे स्टेशन पर चौकी प्रभारी के पद पर नियुक्त था तथा उसने शिकायतकर्ता से 5,000/- रुपये की रिश्वत की मांग की और यहां तक कि उसके कब्जे से रिश्वत की राशि भी बरामद की गई, परंतु पत्रावली से यह परिलक्षित होता है कि, शिकायतकर्ता ने 09.01.2026 को उसके विरुद्ध शिकायत की और तत्पश्चात 12.01.2026 को छापा कार्यवाही संपन्न की गई परंतु लगभग 15 दिन पूर्व आवेदक ने शिकायतकर्ता का चालान किया था क्योंकि उसकी कंपनी निष्पक्ष रूप से कार्य नहीं कर रही थी। इस तथ्य पर विचार करते हुए, इस प्रक्रम पर आवेदक को मिथ्या रूप से आलिप्त किए जाने के संबंध में आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किए गए तर्क को खारिज नहीं किया जा सकता है।
12. इसके अतिरिक्त, यह भी परिलक्षित होता है कि, आवेदक की अभिकथित गिरफ्तारी के पश्चात संपूर्ण विधिक औपचारिकताएं पुलिस थाने में संपन्न की गई हैं और न तो मौके पर छापा ज़ापन तैयार किया गया और न ही यह परिलक्षित होता है कि अभिकथित छापे की वीडियो रिकॉर्डिंग पत्रावली पर उपलब्ध है।
13. इसके अतिरिक्त, आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है तथा मामले की विवेचना पूर्ण हो चुकी है। इसके अतिरिक्त, अभिकथित अपराध के लिए अधिकतम दंड सात वर्ष है तथा वर्तमान मामले में आवेदक लगभग छह माह से कारागार में निरुद्ध है।
14. इसके अतिरिक्त, विधि सुस्थापित है कि जब तक दोष सिद्ध न हो जाए, एक अभियुक्त को निर्दोष माना जाता है और जमानत प्रार्थना-पत्र को दंडात्मक या निवारक उद्देश्य से खारिज नहीं किया जाना चाहिए।
15. अतएव, ऊपर विवेचित मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, मेरे विचार में, आवेदक जमानत पर रिहा होने का अधिकारी है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



16. तदनुसार, मामले के गुण-दोष पर कोई भी राय व्यक्त किए बिना, प्रस्तुत जमानत प्रार्थना-पत्र स्वीकृत किया जाता है।
17. उपर्युक्त मामले में आवेदक- प्रेम चन्द्र को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार एक वैयक्तिक बंधपत्र तथा समान राशि के दो प्रतिभू प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए:-
- (i) आवेदक नियत तिथियों पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा, जब तक कि उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट न दी गई हो।
 - (ii) आवेदक मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा जिससे कि उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों को प्रकट करने से रोका जा सके या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
 - (iii) आवेदक किसी भी आपराधिक और समाज विरोधी गतिविधि में संलिप्त नहीं होगा।
18. उपरोक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की दशा में, अभियोजन पक्ष को आवेदक की जमानत निरस्त करने हेतु इस न्यायालय के समक्ष प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता होगी।
19. यह स्पष्ट किया जाता है कि यहां की गई टिप्पणियां जमानत प्रार्थना-पत्र के निस्तारण से संबंधित पक्षकारों द्वारा लाए गए तथ्यों तक सीमित हैं और उक्त टिप्पणियों का विचारण के दौरान मामले के गुण-दोष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(समीर जैन, न्यायमूर्ति)

22 जून, 2026

ए.के. पाण्डेय

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।